न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/117/2024	2024/288	12.12.2024	22.12.2025

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रेमनारायण निवारी ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान —प्रार्थी

बनाम

1. बलवीर सिंह पुत्र मंगल सिंह,
2. गिर्राज सिंह पुत्र मंगल सिंह,
3. जयसिंह पुत्र मंगल सिंह
4. केसरी सिंह पुत्र मंगल सिंह,
5. बीना बाई पुत्री मंगल सिंह जातियान राजपूत निवासीयान ग्राम लीली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान,
6. सतीश कुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान,
7. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोंदय, मालाखेडा जिला अलवर राजस्थानतहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—

01— श्री अमर चन्द चौधरी —वकील प्रार्थी

02— श्री मुनिराज चौहान —वकील अप्रार्थी सं० 1

03— श्री संजय यादव 2ला6 —वकील अप्रार्थी सं० 2ला.6

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के प्रकरण बउनवान महेन्द्र कुमार बनाम बलवीर वगै0 वाद सं. 1/100/2024 अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर में विचाराधीन था जिसमें विगत तारीख पेशी 16.12.2024 नियत थी। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों पर दौराने बहस निवेदन किया कि मुकदमा बअनुवान महेन्द्र कुमार वादी (बनाम) बलवीर सिंह एवं अन्य प्रतिवादीगण राजस्व वाद संख्या 1/100/24 दावा अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत तकसीम आराजी वो स्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान हैं, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 16—12—2024 नियत हैं। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रखकर छोटी छोटी तारीख पेशी नियत की जा रही हैं, यथा दिनांक 11—07—2024, 15—07—2024, 19—07—2024, 4—07—2024, 01—08—2024, 05—08—2024, 12—08—2024, 22—08—2024, 02—09—2024, 18—09—2024, 24—09—2024, 08—10—2024, 05—11—2024, 25—11—2024, 04—12—2024 व दिनांक 16—12—2024 नियत की गई हैं, तथा सारे कायदे कानून ताक पर रखकर जल्दबाजी में प्रकरण का निस्तारण करने को उतारू हैं। तथा अप्रार्थी संख्या 7 आनन फानन में मुकदमें में कार्यवाही कराना चाहते हैं। जबकि अन्य मुकदमों में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा एक माह दो माह की तारीख पेशी नियत की जा रही हैं। जबकि प्रार्थी का प्रकरण नया हैं।तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की सुविधानुसार उनके व उनके वकील के कहे अनुसार तारीख पेशी नियत की जाती हैं, तथा मिन प्रार्थी के वकील साहब द्वारा निवेदन करने पर

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

उनके कहे अनुसार तारीख नियत नही की जाती हैं। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 प्रार्थी के वकील साहब की बहस सुने बिना ही प्रकरण को खारिज करने को उतारू हैं।तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 के कहने से उक्त प्रकरण की पत्रावली हर पेशी पर अन्य प्रकरण की पत्रावलीयों से अलग रखी जाती हैं।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 राजनैतिक आदमी हैं, जिन्होनें तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 पर राजनैतिक दबाव बनाया हुआ हैं। तथा तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 उनके दबाव व प्रभाव में हैं। उक्त प्रकरण में विगत पेशी पर तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा भरी अदालत में मिन प्रार्थी व उसके वकील साहब से ऐलानिया तौर पर कहा हैं, कि " प्रकरण में तुम्हारा कोई लेना देना नही हैं, जल्द से जल्द बहस करों, अन्यथा आगामी पेशी पर आवश्यक रूप सें प्रकरण का निस्तारण कर दावा व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दूँगा। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा खुले न्यायालय में पूर्व में ही अपने न्याय निर्णय का इजहार कर दिया हैं। तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 से सांठ गांठ कर ली हैं, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को मिन प्रार्थी ने कई बार तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 के चैम्बर में आते जाते व चैम्बर के बाहर बैठे देखा हैं, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने विगत पेशी पर मिन प्रार्थी से अदालत परिसर व गांव में गांव के व्यक्तियों के सामने ऐलानिया तौर पर ऐसा कहा हैं, कि उनकी तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 से बातचीत हो गयी हैं, मुकदमा का फैसला उनके पक्ष में होंगा, तथा दावा व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कराकर रहेगें। मिन प्रार्थी को पूरा भय व आशंका हैं, कि उक्त अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 को निष्पक्ष न्याय करने में बाधा पैंदा कर रहे हैं।

उक्त वर्णित सूरत में न्यायहित में उक्त प्रकरण को तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान से किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाना अतिआवश्यक हैं। दौरान विचारण मुकदमा तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी तलब कर उनको आगामी कार्यवाही स्थिगित रखने के लिए पाबंद किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं। जिस हेतु नेकनियती से प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं।

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन हैं, कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुकदमा बअनुवान महेन्द्रकुमार वादी (बनाम) बलवीर सिंह एवं अन्य प्रतिवादीगण राजस्व वाद संख्या 1/100/24 दावा अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत तकसीम आराजी वो स्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान हैं, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 16–12–2024 को उक्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान से किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिली फरमाने की कृपा करें। दौरान विचारण मुकदमा तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी तलब कर उनको आगामी कार्यवाही स्थिगित रखने के लिए पाबंद किया जावें। खर्चा मुकदमा प्रार्थी को अप्रार्थीगण से दिलाया जावें। व जो अन्य उचित आज्ञा न्यायसंगत हों, बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित की जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 1 एवं अप्रार्थी सं० 2 लगा0 6 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 2 बिलकुल असत्य है जो स्वीकार नही है। अप्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी पेश किया जाने पर छोटी–छोटी तारीख पेशी दी गई है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप निराधार है। प्रार्थना पत्र का जिमन संख्या 3 असत्य है। प्रार्थीगण का कथन बेबुनियाद है अप्रार्थीगण प्रतिवादी ने न्यायालय में दिनांक 06.08.2024 को प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पेश किया जिसमें वादी वकील द्वारा दिनांक 05.11.2025 को प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया एवं दिनांक 25.11.2025 को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। इसी लिये यह कहना गलत है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के कहे अनुसार ही तारीख पेशी दी गई जबकि पर्याप्त समय जवाब एवं बहस हेतु वादीगण को दिया गया है। जिमन नंबर 04 पूणतः असत्य एवं बेबुनियाद है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 5 अस्वीकार है। अप्रार्थीगण कोई राजनीतिक आदमी नहीं है ना ही पीठासीन अधिकारी को किसी राजनीतिक दबाव में लिया गया है। प्रकरण में वादी को पर्याप्त अवसर न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

है परन्तु वादी अनावश्यक वाद को लंबित करना चाहता है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 6 प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप बेबुनियाद व झुठे एवं मनगढंत है। पीठासीन अधिकारी से हम अप्रार्थीगण की कोई सांठ–गांठ नहीं है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप झूठे एवं मिथ्या है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 7 यह कहना गलत है कि अप्रार्थी 1 लगा. 6 पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं 7 को निष्पक्ष न्याय करने में बाधा पैदा कर रहे हैं जबकि पीठासीन अधिकारी नियमानुसार सुनवाई कर रहा है। प्रार्थना–पत्र का जिमन नं0 8 पीठासीन अधिकारी विधिवत सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीगण अनावश्यक वाद को लम्बित करना चाहते हैं।

अतः प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों व काल्पनिक आधारों पर सिर्फ अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा को लम्बा करने की नियत से पेश किया है। अधिनस्थ न्यायालय में अभी विचाराधीन वाद प्रारंभिक स्टेश साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु नियत है इसलिए उक्त प्रार्थना प पोषणीय नही है खारिज होने योग्य है। उक्त मुंतकिली प्रार्थना पत्र जो कल्पना, आंशका से भरा हुआ है जिसमें सत्य व तथ्य का अभाव है एवं जो कानून में निहित प्रकिया व प्रावधानों के दुरूपयोग को बढाने की दिशा में प्रयास है जो स्वीकार नही किया जा सकता है, जो आधारहीन व तथ्यहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है। प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि पत्रावली वास्ते प्रतिवादी प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी में दिनांक 06.08.2024 को पेश की गई। वकील वादी को प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा समुचित अवसर दिया गया जिसके पश्चात दिनांक 05.11.2025 को वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 25.11.2025 को प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी की बहस सुनी गई। जिसके बाद पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के आदेश में नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौजूदा मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र बेबुनियाद झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर महज प्रकरण को अनावश्यक देरी करने की नियम से पेश किया गया है। उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से दिगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावें तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है और ना ही प्रा0पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

डॉ. आर्तिका शुक्ला
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)